हुए अनेक लघु उद्योग एकक बिजली की सहायता के बगैर ही कपड़े धोने का (लान्ड्री) साबुन और डिटर्जेन्ट पाउडर बनाते हैं ।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, डिटर्जेन्ट की टिकिया और डिटर्जेन्ट पाउडर बनाये जाते हैं । इनमें से केवल कपड़े धोने का साबुन ही बिजली का उपयोग किये बिना बनाया जाता है ।

(ग) से (ङ) अधिसूचना सं. 28/64-सी ई, दिनांक 1-3-64 के अधीन बिजली की सहायता के बिना बनाये जाने वाले साबुन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में मिलने वाली छूट को बजट 1994-95 में समाप्त कर दिया गया है किन्तु अधिसूचना सं. 1/93-सी ई, के अधीन साबुनों पर सामान्य लघु उद्योग छूट योजना लागू होती है । उस योजना के अधीन लघु उद्योग एककों को एक वर्ष में अपने 30 लाख रुपये तक के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क नहीं देना पड़ता और उससे अधिक 75 लाख रु. तक के उत्पादन पर भी उत्पाद शुल्क में कुछ छूट मिलती है ।

बजट से पहले बिजली की सहायता के बिना बनाये जाने वाले डिटर्जेन्ट पर कोई छूट नहीं मिलती थी । बजट 1994-95 में डिटर्जेन्ट पाउडर पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की दर को 35% से घटा कर 30% कर दिया गया है । अधिसूचना सं. 1/93-सी ई, के अधीन डिटर्जेन्ट्स सामान्य लघु उद्योग योजना के अन्तर्गत ही आते हैं ।

(च) उपर्युक्त को देखते हुए बजट 1994-95 के अधीन उत्पाद शुल्क में जो परिवर्तन किये गये हैं उनसे साबुन उद्योग के प्रभावित होने की संभावना नहीं है ।

विदेशी निवेशकों की 250 परियोजनाओं की पेशकश

4967. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री वीरेन जे. शाह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अप्रैल, 1994 के दैनिक समाचार-पत्र "आब्जर्वर" में "250 प्रोजेक्ट्स टू बी आफर्ड टू फोरन इन्वेन्टर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने लघु और मध्यम दर्जे के औद्योगिक क्षेत्र में 250 परियोजनाओं के संचालन कार्य को विदेशी पूंजी-निवेशकों या संयुक्त पूंजी निवेशकों को सौंपने का निर्णय किया है ?

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं लघु और मध्यम दर्जे के क्षेत्रों से संबंधित हैं और इनमें कुल कितना पूंजी निवेश किए जाने की संभावना है और वे परियोजनाएं किस-किस उद्योग से संबंधित हैं तथा ये उनसे कहां तक संबंधित हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी हां । इंडिया इनवेस्टमार्ट 94 का आयोजन भारत सरकार तथा यूनाइटेड नेशन्स इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (यूनिडो) द्वारा संयुक्त रूप से भारत की प्रमुख औद्योगिक एसोसिएशनों और विश्व-व्यापी निवेश संवर्धन कार्यालयों के नेटवर्क के सहयोग से किया गया था । इण्डिया इनवेस्टमार्ट इस समय यूनिडो द्वारा चलाए जा रहे समेकित निवेश कार्यक्रम का अंग है ।

(ख) और (ग) भारत सरकार तो उपयुक्त विदेशी संयुक्त उद्यम साझेदार या तकनीकी/वित्तीय सहयोग तलाश करने में भारतीय लघु और मध्यम उद्योगों को सुविधा मात्र दे रही है ताकि वे नये उद्योग स्थापित कर सकें या विद्यमान उद्योगों का विस्तार/आधुनिकीकरण कर सकें तथा/अथवा विश्व-बाजार में अच्छी पहुंच बना सकें । भारत सरकार की भूमिका तो विदेशी तथा स्वदेशी निवेशकर्ताओं की एक दूसरे के साथ बैठक आयोजित कर देने तक ही सीमित है ताकि उन्हें यथोचित समझौते करने में सहायता मिले ।

(घ) लघु सूचीबद्ध अधिकांश परियोजनाएं लघु अथवा मध्यम क्षेत्र की हैं । परियोजनाओं की क्षेत्रवार संख्या और परिकल्पित निवेश का विवरण संलग्न है ।

इण्डिया इन्वेस्टमार्ट

परियोजना प्रस्तावों का पोर्टफोलियो

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परिकल्पित निवेश अमेरिकी डालर (मिलियन)
खाद्य प्रसंस्करण . . .	57	266.45
चमड़ा और चमड़ा उत्पाद . . .	46	93.09
कपड़ा और तैयार परिधान . . .	50	269.79
धातुकर्म उद्योग . . .	32	338.76
रसायन और सहायक उत्पाद . . .	60	581.65
विविध	2	23.60
	247	156.34

नई प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने की आवश्यकता

4968. **श्री राम जेठमलानी :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 1994 के "स्टेट्समैन" में नीड फार एडवान्सड टैक्नालाजी स्ट्रेस्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने हेतु देश में नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आवश्यक है,

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है,

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में हाल ही में पुरानी मशीनों का आयात करने की अनुमति दी गयी है,

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस अनुमति के परिणामस्वरूप देश में नई प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में आवश्यक संशोधन करने के लिए सम्बन्धित विभागों से इस विषय पर विचार-विमर्श करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहो) : (क) से (ग) जी, हां । सरकार इस बात को मानती है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त होने और आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन से भारतीय उद्योग विश्व बाजार में प्रतियोगी बन जायेगा । जुलाई, 1991 में घोषित नयी औद्योगिक नीति में, निर्यात-आयात नीति, 1992--97 में और पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय बजटों में किए गए उपायों का उद्देश्य भारतीय उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बनाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने और प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने में सहायता करना है ।

(घ) विगत में घोषित आयात-निर्यात नीति में ऐसे पुराने पूंजीगत माल का आयात करने की अनुमति दी गयी थी जिनका न्यूनतम शेष जीवन पांच वर्ष हो । इस अनुमति को आयात-निर्यात नीति--1992-97 में भी शामिल किया गया है ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।